क्रम-संख्या- 244

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अगस्त, 2010
श्रावण 21, 1932 शक राम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–1

संख्या 759/तीस-1-2010-5(12)-2010
लखनऊ, 12 अगस्त, 2010

अधिसूचना

प० आ०–477

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4. की उपधारा (1) के अधीन, राज्यपाल सार्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात जिला बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यकता है।

2. चूँकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जिला बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के निर्माण के लिए आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के अधीन जाँच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाय, अतएव, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन अग्रतर निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

टिप्पणी–अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी गयी है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 759/XXX-1--2010-5(12)-2010, dated August 12, 2010 for general information:

No. 759/XXX-1–2010-5(12)-2010

Dated Lucknow, August 12, 2010

UNDER sub-section (1) section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Gover[illegible] pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely for Construction of Bus station of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation in district Barabanki.

2. The Governor, being of the opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land inasmuch as the said land is urgently required for Construction of Bus Station of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation in district Barabanki and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an enquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the said Act shall not apply.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	गौजा Village	गाटा संख्या Plot no.	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) Approximate Area (In Hectare)
1	2	3	4	5
बाराबंकी Barabanki	नवाबगंज Nawabganj	सुरसण्डा Sursanda	2310	0.341
			2311	0.190
			2312	0.013
			2313	0.150
			2402	0.537
			2403	0.034
			2404 M	0 17
			2404 M	[illegible]58=0.055
			2405	0.087
			योग Total	1.427 हेक्टेयर Hectares

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :– जनपद बाराबंकी में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के निर्माण हेतु।

For what purpose required :- For Construction of Bus Station of Uttar Pradesh State Road Transport Corporation in district Barabanki.

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बाराबंकी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Barabanki.

आज्ञा से,
माजिद अली,
प्रमुख सचिव।

By order,
MAJID ALI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 361 राजपत्र (हि०)–2010–(822)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 11 सा० परिवहन–2010–(823)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।